दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-II

(विधायी एवं अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)

संख्या-01 शुक्रवार,12 दिसम्बर, 2008

अग्रहायण 21,1930 (शक)

सदस्यों का निर्वाचन प्रमाण-पत्र

चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम-66 के अंतर्गत निर्धारित शपथ लेने अथवा प्रतिज्ञान करने के संबंध में सभी सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी किए गए निर्वाचन प्रमाण पत्रों की मूल प्रति विधान सभा सचिवालय में प्रस्तुत करें। इसके अतिरिक्त, सदस्यों द्वारा कुछ प्रपत्र इत्यादि भी भरे जाने हैं।

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि उपर्युक्त औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए विधान सभा सचिवालय में किसी भी कार्य दिवस को 11.00 बजे पूर्वाह्न से 5.00 बजे अपराह्न तक पधारने का कष्ट करें।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने साथ निम्नलिखित दस्तावेज लायें :-

(i) निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी किया गया निर्वाचन प्रमाण पत्र (मूल प्रति)।

(ii) पासपोर्ट साइज के चार फोटो (सदस्य का पहचान पत्र बनाने एवं "हू-इज़-हू" के प्रयोजन से)। कृपया अपनी पत्नी, यदि विवाहित हैं तो, के भी चार पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ संलग्न करें।

(iii) संलग्न प्रपत्रों को विधिवत् रूप से भरा जाना।

सदस्यों के पहचान पत्र

सदस्यों से अनुरोध है कि प्रोफार्मा एवं फोटोग्राफ प्रस्तुत करने के दो दिन बाद किसी भी कार्य दिवस को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे के बीच विधान सभा सचिवालय में अपने पहचान पत्र बनवाने का कष्ट करें।

सदस्यों का वेतन

सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया वेतन के उददेश्य से अपने बचत खाते का एक कैंसिल चैक भी साथ लायें।

विधान सभा सदस्यों के लिए कार पार्किंग लेबल

पुराना सचिवालय परिसर में सदस्यों की कार के प्रवेश हेतु प्रत्येक सदस्य को अपेक्षित फॉर्म भरकर देने पर सचिवालय द्वारा एक कार पार्किंग लेबल उपलब्ध कराया जाता है। अभी तक निर्धारित नीति के अनुसार प्रत्येक सदस्य मुख्य द्वार से प्रवेश हेतु केवल एक कार पार्किंग लेबल ही प्राप्त करने के हकदार हैं। यदि किसी कारणवश दूसरे अथवा नए कार पार्किंग लेबल की आवश्यकता हो, तो ऐसी स्थिति में सुरक्षा कारणों से पुराना पार्किंग लेबल, चाहे वह कटा-फटा भी हो तो भी वापस करना आवश्यक है। कृपया अपेक्षित फार्म के साथ गाड़ी के पंजीकरण प्रमाण पत्र की फोटो कापी भी संलग्न करें।

सिद्धार्थ राव

सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY
BULLETIN PART-II
(General Information relating to Legislative & other matters)
Friday 12th December 08/Agrahayan 21, 1930(Saka)

No.01

ELECTION CERTIFICATE OF MEMBERS

In connection with the making and subscribing the prescribed oath or affirmation, Members are requested kindly to bring to the Assembly Secretariat their original certificate of election issued to them by the Returning Officers under rule 66 of the Conduct of Election Rules, 1961. In addition, certain forms etc are also required to be filled in by the Members.

For completion of the aforesaid formalities, members are requested to kindly visit the Assembly Secretariat on any working day between 11 AM to 5 PM.

Members may kindly bring with them the following documents:-

i) Certificate of Election (in original) issued by the Returning Officer.

ii) Four Passport size colour photographs (for purposes of Member's Identity Card and Who's Who'). Kindly bring the passport size photograph of your spouse (if married.)

iii) Enclosed proformas duly filled.

IDENTITY CARDS OF MEMBERS.

Hon'ble Members are requested to get their Identity Cards prepared and collected from the Secretariat of Delhi Vidhan Sabha from 11.00 A.M. to 4.00 P.M. on any working day after two days of submission of proforma and photograph.

Member's Salary

Members may bring one cancelled cheque for salary purposes of their Saving Bank Account.

M.L.A. CAR LABELS

For facilitating entry of cars owned by the Members into Old Secretariat, one car label is issued to each Member by the Secretariat on filling up requisite form. As per policy so far laid down, every member is entitled only to one car parking label for entry into the Old Secretariat Complex from the Main Gate. In case, a duplicate or a new car parking label is required, for security reasons the old label **MUST** be returned, even if mutilated. Please enclose the copy of Registration Certificate of the vehicle with the requisite form.

Siddharath Rao
Secretary